

प्रेषक,

मंजू सिंह

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 24-07-2012

विषय :- जे०एल० नेहरू गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जे० ब्लॉक शास्त्रीनगर (गाजियाबाद)
को सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली से तस्वीर छोड़ता है तु अनापत्ति प्रमाण पत्र
दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक
14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति द्वारा उक्त सन्दर्भित विद्यालय को
सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता है तु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :—

- (1) विद्यालय की पंजीकरण सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा
नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
परिषद् / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के
लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर दि
इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त
परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तीव्र से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान
तथा अन्य भूते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध
कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय—समय पर जो भी
आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

[Signature]



(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा—105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमत्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2—विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3—उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भरटीय

(मंजू सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ०सं०-3100 / मं०स०० / 2012 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव (शिक्षा—7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।

(4) प्रबन्धक, जे०एल० नेहरू गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जे० ब्लॉक शास्त्रीनगर (गाजियाबाद)।

(मंजू सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

